10/02/2023

पत्रावली पेश। वाद पुकारा गया। परिवादिनी मय विद्वान अधिवक्ता श्री उमेश चन्द्र डुंगरिया तथा अभियुक्त मय विद्वान अधिवक्ता श्री विजय शुक्ला उपस्थित। परिवादिनी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तिथि स्थगन प्रार्थना पत्र 28ख इस आशय का पेश किया गया कि साक्षी से सम्पर्क न हो पाने के कारण आज साक्ष्य अंकित कराया जाना सम्भव नहीं है। स्थगन प्रार्थना पत्र पर अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा आपत्ति कर कथन किया गया कि परिवादी द्वारा जानबूझकर मामले को लम्बित रखने के लिए स्थगन प्रार्थना पत्र बार–बार दिया जा रहा है, जो कि स्वीकार करने योग्य नहीं है। सुना। स्थगन प्रार्थना पत्र न्यायहित में अन्तिम अवसर के साथ स्वीकृत। पत्रावली वास्ते शेष परिवादिनी साक्ष्य दिनांक 16/02/2023 को पेश हो।

(रजनीश मोहन)
न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल जज
टनकपुर, चम्पावत।